संचालनालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी , सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ, रायपुर

बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस.पाठ्यक्रम

सत्र 2016–17 में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्यक्रम

–:: अंतिम चरण की काउंसिलिंग सूचना ::–

काउंसिलिंग स्थल :– शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई.रोड, रायपुर (छ.ग.)

बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम,सत्र 2016–17 में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (आयुष) विभाग नई दिल्ली/राज्य सरकार से अनुमति/ विश्वविद्यालय से संबद्धता के आधार पर आयुष महाविद्यालयों के तृतीय चरण की काउंसिलिंग उपरांत रिक्त रही सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग आयोजित है । प्रवेश के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा 2016 में सम्मिलित **छत्तीसगढ़ के मूल निवासी** प्रवेशार्थियों को श्रेणी/संवर्गवार काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है। ऐसे उम्मीदवार जिनका व्यापम द्वारा प्रकाशित मेरिट सूची में प्राप्तांक श्रेणी/संवर्गवार निम्नानुसार है वे इस सूचना के आधार पर काउंसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं :–

समय सारिणी – शासकीय नियतांश हेतु

दिनांक	श्रेणी/संवर्ग	रजिस्ट्रेशन का समय	प्रवेश परीक्षा के कुल प्राप्तांक
14.12.2016 (बुधवार)	अनारक्षित (निल)	प्रातः 9.30 से 10.30 बजे तक	न्यूनतम 68.018तक
	अजजा (निल)	प्रातः 10.30 से 11.30 बजे तक	न्यूनतम 46.010 तक
	अजा (निल)	प्रातः 11.30 से 12.15 बजे तक	न्यूनतम 57.425 तक
	अपिव (निल)	दोप. 12.15 से 1.00 बजे तक	न्यूनतम 68.018 तक

(अ) छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2014 में निहित प्रावधान अनुसार सीटों को परिवर्तित किया जावेगा।

(ब) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण की काउंसिलिंग में चयनित/उपस्थित नहीं हो सके हैं, वे भी काउंसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं।

(स) प्रवेश हेतु रिक्त सीटों की संख्या परिवर्तनीय है । शासकीय/निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में रिक्तियां निम्नानुसार है :–

		अना.	अजजा	अजा	अपिव
1	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर	0	0	1	0
2.	महाराणा प्रताप होम्योपैथी मेडिकल कालेज रायपुर	10	8	3	4

टीप– **भारत सरकार/ राज्य शासन से अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता/निरंतरता काउंसिलिंग के समय जमा करनी होगी तथा अन्य आयुष महाविद्यालयों द्वारा भी उक्तानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने पर काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा।**

उम्मीदवार निम्नलिखित दस्तावेजों को निम्न कम में व्यवस्थित कर उक्त निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होवें।

1. व्यापमं **प्रवेश परीक्षा–2016** की अंकसूची ।
2. **10 वीं** की मूल अंकसूची ।
3. **12 वीं** की मूल अंकसूची।

........2

4. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त **मूल निवासी प्रमाण–पत्र** ।
5. एस.सी. ,एस.टी. एवं ओ.बी.सी. संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी **स्थायी जाति प्रमाण–पत्र।**
6. अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को माता पिता का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 का **आय प्रमाण–पत्र** । जिन उम्मीदवारों के माता–पिता शासकीय सेवक हैं उन्हें उक्त तीन वर्षों का फार्म–16 प्रस्तुत करना होगा।
7. अभ्यार्थियों को चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिये प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व **सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. उपरोक्त दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों का **एक सेट एवं दो पासपोर्ट साईज फोटो** भी साथ लावें।
9. काउंसिलिंग हेतु अनारक्षित/अ.पि.व.के लिए **रू.500/–** तथा अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिये **रू.300/– काउंसिलिंग शुल्क नगद** अथवा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा करना होगा , जो **''प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग)''** या **"Principal, Government Autonomous Ayurvedic College, Raipur (C.G.)"** के नाम पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बना हो, एकाउंटपेयी हो तथा रायपुर में देय हो । उक्त राशि वापसी योग्य नहीं है।

10. <u>**शैक्षणिक शुल्क :–**</u>

(1) काउंसिलिंग के समय **शैक्षणिक शुल्क** की राशि **नगद अथवा बैंक डाफ्ट /बैंकर्स चेक** के रूप मे जमा करना अनिवार्य होगा ,जो **''प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग)''** या **"Principal, Government Autonomous Ayurvedic College, Raipur (C.G.)"** के नाम पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बना हो, एकाउंटपेयी हो तथा रायपुर में देय हो ।

(2) काउंसिलिंग के समय **शासकीय** आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर का शुल्क – अनुसूचित जाति के लिए **रू. 3,235/– जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा।**

(3) काउंसिलिंग के समय प्रदेश के **निजी क्षेत्र** के महाराणा प्रताप होम्यापैथी मेडि.कालेज, न्यु राजेन्द्र नगर, रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत **रू. 23,850/–**जमा करना अनिवार्य होगा, **अन्यथा अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा।**

(4) शुल्क की शेष राशि अभ्यर्थी को प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

नोट :–
(1) यदि कोई सेमेस्टर एक वर्ष छः माह का है तो अभ्यर्थी से अनुपातिक एक वर्ष छः माह का शुल्क लिया जावेगा ।
(2) समस्त निजी महाविद्यालयों द्वारा लिया गया अंतरिम शुल्क एवं निर्धारित अंतिम शुल्क में अन्तर की राशि छात्र द्वारा/संस्था द्वारा जैसा भी प्रकरण हो संस्था को/छात्र को वापस देय होगा। इस संबंध में वचनपत्र लिया जावेगा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति/शासन द्वारा शुल्क निर्धारित किए जाने के बाद तद्नुसार शुल्क का समायोजन अंतिम रूप से किया जावेगा।
(3) सीटों का विस्तृत विवरण काउंसिलिंग स्थल पर काउंसिलिंग के समय चस्पा किया जावेगा।
(4) **काउंसिलिंग के दौरान उन्हीं महाविद्यालयों की सीटों पर आबंटन किया जाएगा, जिन्हें भारत सरकार/ राज्य शासन से अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता/निरंतरता प्राप्त होगी।**
(5) काउन्सिलिंग से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट **www.cgaupcb.in** एवं **cghealth.nic.in/ehealth/dishm/index.html** पर उपलब्ध है।

संचालक
आयुर्वेद,योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़